

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2014—माघ 3, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्र. एफ.बी-1-32-2013-2-पांच (7).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (छ) और धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 में, उपधारा (2) का लोप किया जाए.

यह अधिसूचना राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्र. एफ.बी-1-32-2013-2-पांच (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-32-2013-2-पांच (7), दिनांक 23 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd January 2014

No. F.B-1-32-2013-2-V-(7).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 21, sub-section (2) shall be omitted.

This notification shall be deemed to have come into force from the date of publication of this notification in the offical Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy.Secy.